भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1128

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाएं/औषधियां लिखे जाने संबंधी फॉर्मूलेशन

†1128. श्री टी. आर. बालू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में लोगों द्वारा दैनिक आधार पर उपयोग की जाने वाली 53 दवाओं/औषधियों को उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया है क्योंकि वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के फॉर्मूलेशन के अनुरूप नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा दोषी दवा विनिर्माताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): विभिन्न कंपनियों की कुछ दवाओं के बैचों की सूची, जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं/नकली/गलत लेबलयुक्त/मिलावटी घोषित किया गया है, नियमित रूप से अपलोड की जाती है और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट के "दवा के बारे में चेतावनी" शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत उपलब्ध है। दवाओं की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित मामलों में, जैसे ही उनकी सूचना प्राप्त होती है, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, उपयुक्त न्यायालय में अभियोजन सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
